संख्या-40 /2018/आ0मि0-194/96-आयुष-2-2018-19(आ0मि0)/2017

प्रेषक,

मुकेश कुमार मेश्राम,
सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

मिशन निदेशक,
उ0प्र0 राज्य आयुष सोसाइटी,
उ0प्र0 लखनऊ।

आयुष अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 24 मार्च, 2018

विषय- राष्ट्रीय आयुष मिशन योजनान्तर्गत वर्ष 2017-18 में स्वीकृत 154 राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालयों के उच्चीकरण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-593/84/मि0नि0/2017-18, दिनॉक 16-03-2018 एवं पत्र संख्या-597(1)/149/मि0नि0/2017-18, दिनॉक 16-03-2018 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि 07 राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालय के उच्चीकरण हेतु उ0प्र0 समाज कल्याण निर्माण निगम, लखनऊ द्वारा गठित आगणन एवं 02 राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय के उच्चीकरण हेतु उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लि0 द्वारा गठित आगणन का आयुष विभाग से संबंधित रू0 10.00 करोड तक की योजनाओं/परियोजनाओं के परीक्षण/मूल्यांकन हेतु सचिव, आयुष की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा विचार किया गया। समिति द्वारा प्रश्नगत 07 राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालय एवं 02 राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय सूची संलग्न के कालम-4 में अंकित धनराशि कुल रू0-121.01 लाख (रू0 एक करोड़ इक्कीस लाख एक हजार मात्र) के मूल्यांकित आगणन की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति वर्ष 2017-18 में आपके निवर्तन पर राज्य आयुष सोसायटी के बचत खाते में रखी गयी धनराशि में से व्यय करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते है:-

1- स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्ही कार्यो/मदो में किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है, किन्ही अन्य कार्यो/मदो पर धनराशि का व्यय अथवा व्ययावर्तन वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।
2- प्रायोजना का निर्माण कार्य निर्धारित समायावधि में अवश्य पूर्ण करा लिया जायेगा।
3- अवमुक्त धनराशि का अहरण आवश्यकतानुसार करते हुए व्यय नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को पी0एल0ए0/बैंक खाते मे नही रखा जायेगा।
4- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनॉक 03-08-2017 में उल्लिखित दिशा-निदेर्शो को पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

5- प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से मिशन निदेशक, द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम से आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

6- प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति इस शर्त के अधीन की जा रही है कि इस प्रायोजना पर अगामी वित्तीय स्वीकृति तभी प्रदान की जायेगी, जब इस धनराशि एवं पूर्व स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र तथा भौतिक प्रगति का विवरण उपलब्ध कराया जायेगा।

7- प्रश्नगत कार्य में सुसंगत नियमों का अनुपालन मिशन निदेशक द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

2- उक्त पर होने वाला व्यय राज्य आयुष सोसायटी के बचत खाते में मिशन निदेशक, राज्य आयुष सोसायटी के निवर्तन पर रखी गयी धनराशि से वहन किया जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-8/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017, दिनॉक 03-08-2017 में प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किए जा रहे है।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय,

(मुकेश कुमार मेश्राम)
सचिव।

संख्या-40/2018/आ0मि0194(1)/96-आयुष-2-2018 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- निदेशक, होम्योपैथी उ0प्र0 लखनऊ।
3- सम्बन्धित जिलाधिकारी, उ0प्र0।
4- सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उ0प्र0।
5- प्रबन्धक, उ0प्र0 समाज कल्याण निर्माण निगम लि0, लखनऊ।
6- वित्त प्रबन्धक, उ0प्र0 राज्य आयुष सोसायटी।
7- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-3/वित्त(आय-व्ययक)अनुभाग 1/2
8- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(लक्ष्मण सिंह)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

'kklukns'k la[;k&
@2018@vk0fe0&196@96&vk;q"k&2&2018&19¼vk0fe0½@20
17 fnukad 24-03-2018 dk layXudA
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&

dz0	fpfdRlky; dk uke	vkx.ku dh /kujkf'k	ewY;kafdr /kujkf'k ¼:i;s yk[k esa½
1	2	3	4
1	jk0gks0fp0] egkgj] xkthiqj	20-02	15-00
2	jk0gks0fp0] HkSjksiqj] xkthiqj	15-16	15-00
3	jk0gks0fp0] ljk; xksdqy] xkthiqj	19-08	15-00
4	jk0gks0fp0]ygqokj] xkthiqj	14-40	14-40
5	jk0gks0fp0] ftyk vLirky] cLrh	7-58	7-58
6	jk0gks0fp0] xkSVok] cLrh	9-11	9-11
7	jk0gks0fp0] dksgMk] cLrh	14-92	14-92
o"kZ 2016&17 esa Lohd`r vk;qosZfnd fpfdRlky;@m0iz0jktdh; fuekZ.k fuxe fy0			
1	jk0vk0fp0] dVjk&cDdkl] y[kuÅ	15-00	15-00
2	jk0vk0fp0] xkslkbZxat&y[kuÅ	15-00	15-00
;ksx			121-01

¼y{e.k
flag½
vuq lfpo

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।